कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2148 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग–3

विषयः– **जनपद–बोगेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुड़डिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलाधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/20227/2016)

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0 974/X-4-16/1(312)/2016 दिनांक 16–09–2016।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 400/12–1(2) दिनांक 30–07–2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांउ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 390/12–1(2) दिनांक 06–08–2024 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों की अनुपालन ऑख्या ऑनलाईन माध्यम से दिनांक 27–02–2025 को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क०सं०	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.36 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.36 है0 ग्राम गासी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रु0 18,07,306.00 (अठारह लाख सात हजार तीन सौ छः) मात्र की धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. SBIN308818511110 दिनांक 30–03–2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 5.36 है0 ग्राम गासी, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 67/छब्बीस वन/2016–17 दिनांक 07–12–2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े सथानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 30,33,426.00 (तीस लाख तैंतीस हजार चार सौ छब्बीस) मात्र का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. SBIN308818511110 दिनांक 30–03–2021 द्वारा जमा की जा चुकी है

		(संलग्नक–1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रु0 17,60,760.00 (सत्रह लाख साठ हजार सात सौ साठ) NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. SBIN308818511110 दिनांक 30–03–2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–3)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का रु0 9,33,203.00 (नौ लाख तैंतीस हजार दो सौ तीन) मात्र NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. 6016020240202411579 दिनांक 02–02–2024 द्वारा जमा की जा चुकी है चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत मान्य होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. SBIN308818511110 दिनांक 30–03–2021 द्वारा रु0 66,01,492.00 (छियासठ लाख एक हजार चार सौ बयानवे) मात्र जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सहमत हैं। **(संलग्नक–5)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण– पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने के स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त हेतु सहमत है।
9	उपरोक्त २शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त हेतु सहमत है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 21 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

57

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 389/ 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 06-8-2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/20227/2016)

सन्दर्भ :– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 974/ X–4–16/1(312)/2016 दिनांक 16.09.2016

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 399/12-1-2 दिनांक 30.07.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– तीन प्रतियों में।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 725
पत्रावली 121
दिनांक 22-8-24

भवदीय

(डॉ0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० कें।

प्र० व० सं०/नो०
20-8-24

02 AUG 2024 प्राप्तिकर्ता..

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 399 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 30 / 7 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/20227/2016)**

सन्दर्भ:– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 974/x-4-16/1(312)/2016 दिनांक 16.सितम्बर.2016।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.36 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.36 है0 ग्राम गॉसी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 18,07,306.00 मात्र (रू0 अठारह लाख सात हजार तीन सौ छः मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 308818511110 Dtd 30.03.2021 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न–1) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 5.36 है0 ग्राम गासी, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 67/छब्बीस वन/2016–17 दिनांक 07.12.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(संलग्न–2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	योक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 30,33,426.00 मात्र (रू0 तीन लाख तैतीस हजार चार सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 308818511110 Dtd 30.03.2021 द्वारा किया जा चुका है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायाल के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध	एन0पी0वी0 की धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 308818511110 Dtd 30.03.2021 द्वारा रू0 17,60,760.00 मात्र (रू0 सत्रह लाख साठ हजार सात सौ साठ मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न–1 के अनुसार)।

Nodal adikari

	वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	
	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No. 6016020240202411579 Dtd 02.02.2024 से जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)**(संलग्न–3)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0बी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 30881851110 Dtd 30.03.2021 द्वारा रू0 66,01,492.00 मात्र (रू0 छियासठ लाख एक हजार चार सौ बानवे मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न 01 के अनुसार)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सहमत है। (संलग्न–4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की छायप्रति संलग्न है। संलग्न-5
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या 08 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या 09 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

A/m/-21
16/5/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1120 / 2ई0 दिनांक 16 / 05 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/20227/2016)

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं0 974 / X-4-16 / 1(312) / 2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक सं0 613 / 2ई0वन0भूमि दिनांक 15.04.2021 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी जिसे आपके कार्यालय पत्रांक सं0 4176 / 12–1–2 बागेश्वर दिनांक 22.04.2021 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था(पत्र की छायाप्रति संलग्न) परन्तु आतिथि तक विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। पुनः बिन्दुवार अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.360 है0 सिविल सोयम भूमि का क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वनभूमि धोषित किये जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि बदले प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुनी संख्य वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रभा वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि 18,07,306.00 एवं रु0 30,33426.00 दिनांक 30 2021 को चालान सं0 SBINR 5202103301 5511 द्वारा जमा करा दी गयी हैं। **छायाप्रति संलग्न है**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिक बागेश्वर द्वारा आंकलित की गयी एन0पी0वी0 धनराशि रु0 17,60,760.00 मात्र दिनांक 30.03.2 को चालान सं0 SBINR 52021033015511110

4396
16/5/2024
12-1-2

		द्वारा जमा करा दी गयी है। **छायाप्रति संलग्न**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय **उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995** के अन्तर्गत **आई0ए0सं0–566** एवं भारत सरकार पत्र संख्या **5–3/2007–एफ0सी0** दिनांक 05.02.2009 के **तहत** दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु प[illegible] मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लिखित शर्तानु[illegible] एन0पी0वी0 आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिका[illegible] बागेश्वर से प्राप्त डिमांड नोट को नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात अनुमोदन उपरान्त ऑन लाइन ई–चालान जनरेट कर कुल धनराशि रु0 6601492.00 का भुगतान चालान सं0 SBINR 52021033015511110 Dated 30.03.2021 द्वारा जमा कर दिया गया है। **छायाप्रति संलग्न है।**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्वता **प्रस्तुत करेगें** कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 **की दर में** बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि **प्रयोक्ता** अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	बिन्दु सं0 4 हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नये दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 रु0 9,33.203.00 UTR No 60160202402024115779 दि0 02.02.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है। **बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाइन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पैधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन लाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	शर्त संख्या 4 व 5 के अनुपालन में उक्त देय धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation fund (CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी परन्तु बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त देय धनराशि रु0 6601492.00 का भुगतान ऑन लाइन ई–चालान जनरेट कर दिनांक 30.03.2021 को किया जा चुका है। भुगतान की पुष्टि हेतु बैक से प्राप्त SBINR 52021033015511110 Dated 30.03.2021 की **छायाप्रति संलग्न है।**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	बिन्दु सं0 6 हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। भूवैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन करने सम्बन्धी **प्रमाण पत्र संलग्न है।**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्र की **छायाप्रति संलग्न।**

2/3

8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	बिन्दु सं0 8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी **सहमत** है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	बिन्दु सं0 9 हेतु मान्य है।

संलग्न–अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय,
16/05/24
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

पत्रांक /2ई0 दिनांक /05/2024

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

संलग्न-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक / बागेश्वर, दिनांक : / /2020

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
कपकोट।

विषय – **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.68 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या 974/x-4-16/1(312)/2016 दिनांक 16.09.2016।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन सरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क –972/3–5–2 दिनाँक 21.11.2017 के द्वारा निंधारित दरो के कम में वर्ष 2020–21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	2.68 है0	5	0.1	6,57,000.00	17,60,760.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	5.36 है0	"–"	"–"	3,37,184.00	18,07,306.00
3	सडक के दोनो ओर पथ वृक्षारोपण	6.00 कि0मी0	"–"	"–"	5,05,571.00	30,33,426.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\demand note.docx"

1(1)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2021

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	6120227631
MoEF/SG File No.	1(312)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBageshwar
Amount(in Rs)	6601492/-

Amount in Words :Sixty-Six Lakh One Thousand Four Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896120227631 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGC Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Print

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

V B52 210 330155 1110

sclearence.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD202

1(11)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/20227/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/20227/2016) Construction of Bageshwar Kapkot motor road km 16 to Verui Okhaldhar motor road (Length 6.00)	ROAD202272016631	6120227631	16 Sep 2016	CA: 1807306/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1760760/- , Path Vacant Plantation : 3033426/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6601492/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Mar 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 23 Mar 2021 Transaction Date : 30 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311201246121060Q3QGdeman Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD202272016631)
2	FP/UK/ROAD/15675/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/15675/2015) Construction of Gwatoli-Kareempur to Freedom Fighter Shri Ram Datt Joshi Village Length 2.00	ROAD156752015764	6115675764	27 Jan 2021	CA: 1137996/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1108359/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2246355/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Feb 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Feb 2021 Transaction Date : 06 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2111612191216NE9H1damand Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD156752015764)
3	FP/UK/ROAD/10120/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10120/2015) Construction of Gogena Kimu Motor Road(7.00 Km)	ROAD101202015575	6110120575	04 Nov 2016	CA: 1502002/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1609650/- , Plantation on either side of the raod : 3217270/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6328922/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 23 Sep 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 24 Sep 2019 Transaction Date : 03 Jan 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8112712531210DRBFQgogani Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD101202015575)
4	FP/UK/ROAD/11434/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11434/2015) Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli Motor road (12.00 km) under SCP	ROAD114342015375	6111434375	02 Aug 2018	CA: 2703603/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2897370/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5600973/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 30 Aug 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 31 Aug 2019 Transaction Date : 05 Sep 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/81127124612105A0Q0mudery Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD114342015375)
5	FP/UK/ROAD/10468/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10468/2015) Construction of Kameri Devi to Jhakra motor road (Length 3.00km)	ROAD104682015026	6110468026	12 Aug 2016	CA: 819275/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 965790/- , Path Vacant Plantation : 1253481/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3038546/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Mar 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Mar 2019 Transaction Date : 30 Mar 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311181281212AETEWdemend Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD104682015026)

संलग्न-2

खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट (बागेश्वर)
डायरी नं 2159
दि0 18.12.16

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 30 [illegible] .2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर के अर्न्तगत कपकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 16 [illegible]तुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरू ओखलधार तक 06 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.680 है0 की दुगनी अवनत भूमि 5.360 है0 जो ग्राम गॉसी पटवारी क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 112 के पैमाईशी खेत नम्बर 3336 रकबा 19.120 है0 मध्ये 5.360 है0, कुल रकबा 5.360 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(II)/2012–18(120) /2012 दिनाक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 974/X–4–16/ 1(312)/ 2016 दिनांक 16 सिमबर, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 5.360 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर .

संख्या – 67 / छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 07 /12/ 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।

2–अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3–उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4–तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

R.No. 2159/ 2 दि0 16.12.16

7.12.16
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपि श्री प्रकाश लाल, सहायक अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधि0 अभि0
14.12.16

Photo copy Attested.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

2/14

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या– 73 /र०का०/व०भू०ह०/2016–17/दिनांक 26 दिसम्बर,2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– ***जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 16 तुड़तुड़िया के पास ओलिंग होते हुए भैरू ओखलधार तक 06 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.680 है० की दुगुनी अवनत भूमि 5.360 है0 भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।***

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या–67/छब्बीस वन/ 2016–17 ,दिनांक 07/12/2016 के अनुपालन में ग्राम गांसी पटवारी क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 112 के पैमाईशी खेत नम्बर 3336 रकवा 19.120 हैक्टेयर, मध्ये 5.360 हैक्टेयर, कुल रकवा 5.360 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ख (2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :– (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
(02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

दि० 20/12/16
KMR

मौजे ज०वि० खतौनी उद्धरण ग्राम जांली पटवारी क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट
जिला बागेश्वर। 2-(ii)

श्रेणी 9(3) ख-2 अन्य वन

खा० सं०	खातेदार का नाम	फ० सा०	खेत नम्बर	रकबा	लगान रु०	पै०	विवरण
112	जंगल		2637	0.390	[illegible]		
			2640	1.960	″		
			2642	5.000	″		
			2773	0.076			
			2847	3.500	[illegible]		
			क्रमशः				
			3335	2.388	[illegible]		
			3336	19.120	″		
			3357	2.000			
			क्रमशः				
			10518	1.170			
			10632	5.313			
			10671	1.600			
			10781	5.625			
			10782	0.930			
		योग	67	255.694			

विवरण: जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 67/[illegible]/2016-17 दि० 07/12/2016 के शासनादेश 2173/xviii(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 974/X-4-16/1(312)/201[illegible] दिनांक 16 सितम्बर 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन ग्राम जांली के गैर ज०वि०खा०सं० 112 पैमाइशी खेत नम्बर 3336 रकबा 19.120 है० में 5.360 है० कुल रकबा 5.360 है० श्रेणी 9(3) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को अतिरिक्त [illegible] किये जाने हेतु लो०नि० विभाग के पक्ष अंतरित / नामान्तरण किया।

रा०उ०नि०
लोहारखेत
23/12/16

महोदय,
खतौनी उद्धरण असल से नकल कर तैयार किया,

लोहारखेत

प्रतिहस्ताक्षरित। 24/12/16

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

तहसीलदार
तहसील कपकोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/20227/2016** योजना **जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर के निर्माण हेतु 2.680 है0** वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम गांसी में **5.360 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 67/छब्बीस –20 वन /2016–17 दिनांक 07.12.2016 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

2(W)

REVENUE (FORESTS) DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

The 17th October 1893

869 F
No. 638.44- In exercise of the powers conferred on him by section 28 of the Indian Forest Act, VII of 1878, the Hon'ble the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces and Chief Commissioner of Oudh is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the above mentioned Act, VII of 1878, applicable to the following forest lands waste lands which are not included in reserved forests:-

(1) The forest lands and waste lands of the Garhwal District which do not form part of the measured areas assigned to villages.

(2) The forest lands and waste lands of the Almora district, which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forests known as-

Declared to be 'protected' by Notification No. 177 dated 25th February 1879 as revised by Notification No. 99, dated 31st January 1883

- M-chor
- Bhatronj
- Siuni
- Siun
- Belekh
- Kathalekh
- Gania deoli
- Kurchuli
- Chilianao.
- Chaubattia.
- Padholi
- Dwarson.
- Siahi Devi
- Airadeo

(3) The forest lands and waste lands of the Naini Tal subdivision of the Naini Tal district which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forest known as-

Declared to be 'protected' by Notification No. 149, dated 21st February 1879 as revised by Notification No. 133F/539-13 dated 21 March 1887.

- China
- Budlakote
- Nalua
- Bhowali
- Jakh.
- Laria Kanta
- Kuria

TRUE COPY

(G. S. S. KHATI)
Asstt. to Addl. Chief Conservator of Forests,
(Management),
U.P., Nainital.
dt. 12-4-1983

संलग्न-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 3842 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 20/3/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
कपकोट।

विषय – **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 18 तुडतुडिया के पास ओलिगैल होते हुए भैरू ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.68 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एस0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.09.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	2.68 है0	5	0.1	1005210.00	26,93,963.00	17,60,760.00	09,33,203.00
	कुल योग					26,93,963.00	17,60,760.00	09,33,203.00

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

स0 अ0-III | वन भूमि प्रस्ताव
28/3
27/3

...nsfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

Scanned with ACE Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 16-01-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWDKAPKOT
PIF/Application No.	6120227142
MoEF/SG File No.	1(312)/2016
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	cdpwdkapkot@gmail.com 9639377012 5963-253385
Amount(In Rs)	933203/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jellitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words:Nine Lakh Thirty-Three Thousand Two Hundred and Three Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 16-01-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWDKAPKOT
PIF/Application No.	6120227142
MoEF/SG File No.	1(312)/2016
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBageshw
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	cdpwdkapkot@gmail.com 9639377012 5963-253385
Amount(In Rs)	933203/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jellitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words :Nine Lakh Thirty-Three Thousand Two Hundred and Three Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpd

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionban

Print Back

TR.No 6016020240202411579

02.02.2024

Union Bank of India • Branch

	/19168/2016 rt.aspx? AD/19168/2016) ctio[illegible] Sarkhet a motor road(Length km)	ROAD19168201674 6	6119168746	12 Aug 2016	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1175209/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1175209/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 11 Jan 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2024 Transaction Date : 02 Feb 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/231220231131421102_FPUKROAD1916
7	FP/UK/ROAD/20227/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/20227/2016) Construction of Bageshwar kapkot motor road km 16 to Verul Okhaldhar motor road (Length 6.00)	ROAD20227201614 2	6120227142	16 Sep 2016	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 933203/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 933203/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 11 Jan 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 29 Jan 2024 Transaction Date : 02 Feb 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/231220231155406703_FPUKROAD2022
8	FP/UK/ROAD/23336/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/23336/2016) Construction of Pothing Toli Motor Road (Length 7.00km)	ROAD23336201638 4	6123336384	16 Sep 2020	CA: 3180114/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2816559/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5996673/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 27 Dec 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 27 Dec 2021 Transaction Date : 29 Jan 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/271220211045493075_FPUKROAD2333 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD2
9	FP/UK/ROAD/27119/2017 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/27119/2017) Construction of Harsila to Sima motor road Length(4.00km)	ROAD27119201702 1	6127119021	15 May 2021	CA: 1868604/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1654983/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3523587/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Not Done	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/181220211616171462_FPUKROAD2711
10	FP/UK/ROAD/27337/2017 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/27337/2017) Construction of Duni Sukunda motor road Extension to Shobhakund motor road (Length 8.00 km)	ROAD27337201747 7	6127337477	17 Mar 2021	CA: 3219429/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2851380/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6070809/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 27 Dec 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 27 Dec 2021 Transaction Date : 29 Jan 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/271220211042484167_FPUKROAD2733 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD2
11	FP/UK/ROAD/10511/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10511/2015) Construction of Khadlekh-Bhanar-Dana-Tikta Motor Road (4.00km)	ROAD10511201518 8	6110511188	12 Aug 2016	CA: 1180144/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1149750/- , Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 4352178/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Path Vacant plantation : 2022284/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Jul 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Jul 2021 Transaction Date : 30 Jul 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7111512501211K6E2Ida Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1

3-117

3-(11)

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो. ने.वि.कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

फ़ॉर्म-5

भू वैज्ञानिक के सुझावों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.680 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों /शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.कपकोट

सेतरनं-5

परियोजना का नाम:– जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 पुड़कुनिया के पास ओलिंग होते हुए गैरु, ओखलसार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 22. 05. 2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1)	जोगेन्द्र सिंह S/o [illegible] सिंह	जोगेन्द्र सिंह
(2)	[illegible]	[illegible]
(3)	[illegible] सिंह S/o [illegible]	[illegible]
(4)	[illegible] देवी W/o [illegible]	सरस्वती देवी
5	[illegible] S/o [illegible] सिंह	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
(8)	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
(9)	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
(10)	[illegible] सिंह S/o प्रेम सिंह	[illegible]
(11)	गोविन्द सिंह S/o [illegible] सिंह	गोविन्द सिंह
12	[illegible] राम S/o [illegible] राम	[illegible] राम
13	[illegible] राम S/o [illegible] राम	[illegible] राम
14	[illegible] राम S/o [illegible] राम	[illegible]
(15)	भरत सिंह S/o प्रताप सिंह	भरत सिंह
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible] सिंह
18	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
19	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
20	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]

(21) [illegible] देवी W/o [illegible] सिंह — [illegible]
(22) उमा देवी W/o [illegible] सिंह — उमा देवी
(23) प्रेम सिंह S/o [illegible] सिंह — [illegible]
(24) [illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह — [illegible]
(25) लक्ष्मण सिंह S/o [illegible] सिंह — लक्ष्मण सिंह
(26) शान्ती देवी W/o [illegible] सिंह — शान्ती देवी
(27) पार्वती देवी W/o [illegible] सिंह — पार्वती देवी
(28) प्रताप सिंह S/o दौलत सिंह — [illegible]
(29) [illegible] सिंह S/o बहादुर सिंह — [illegible]
(30) मोहन सिंह S/o नारायण सिंह 37 — [illegible]
(31) [illegible] सिंह S/o शेर सिंह — [illegible] सिंह

सरस्वती देवी
ह0/-
ग्राम प्रधान

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

परियोजना का नाम– जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, आंखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, आंखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग (0.122 है0 आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.300 है0, वन पंचायत भूमि 1.172 है0, अर्थात कुल 2.600 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 30-05-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 30-5-2016 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के0एस0 टोलिया उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री के0 एस0 टोलिया उपजिलाधिकारी कपकोट अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य 30.05.16
3– श्री लालू राम वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी कपकोट सदस्य / सचिव
4– श्री हरीश सिंह साही डी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य

Sub Divisional Magistrate Kapkot Bageshwar

उपखण्ड समिति द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, आंखलधार तक 6.00 किमी0 परियोजना हेतु 2.680 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

उप्रभागीय [illegible]
वि0ख0-कपकोट

Photo copy Attested.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 गुडगुडिया के पास ओलिग होते हुए भेरू. ओखलधार तक 6.00 किमी0 परियोजना निर्माण हेतु 2.080 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्रदत्त की गयी।

30-5-16

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील....कपकोट....
जनपद....बागेश्वर....

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी....बागेश्वर....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

31-5-16

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील....कपकोट....
जनपद....बागेश्वर....

Photo copy Attested.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

2.24.1

<u>वन पंचायत रैखान... की बैठक कार्यवाही</u>

दिनांक ..../16..... को वन पंचायत.....रैखान.......... की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर–कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 पुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओख्लधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह० [signature]
सरपंच

दिनांक :– 22.11.16

स्थान:– रैखान

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

सरपंच [signature]

(1) मोहन सिंह S/o ... सिंह [signature]
(2) ... W/o ... सिंह [signature]
(3) तारा देवी W/o ... सिंह तारा देवी
(4) ... देवी W/o कुन्दन लाल
(5) ... शान्ती देवी
(6) भूपाल सिंह S/o गोपाल सिंह भूपाल सिंह
(7) [signature] मोहन सिंह S/o नारायण सिंह [signature]

Photo Copy Attested

[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

वन पंचायत .... की बैठक कार्यवाही

दिनांक 12-5-16 को वन पंचायत .... की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर–कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, जोखलपार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0 [signature]

सरपंच

दिनांक :– 12-5-16

स्थानः– [handwritten]

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature]

सरपंच

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

(1) [handwritten] सिंह S/o भूपाल सिंह — [signature]
(2) दलीप सिंह S/o हिम्मत सिंह — [signature]
(3) कुंवर सिंह S/o भीम सिंह — [signature]
(4) परताप सिंह S/o मोहन सिंह — [signature]
(5) लाल सिंह S/o बची सिंह — [signature]
(6) गोपाल सिंह S/o [handwritten] सिंह — [signature]
(7) दलीप सिंह S/o साधो सिंह — [signature]

Photo copy Attested

[signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुउतुडिया के पारा ओलिग होते हुए भेरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू-स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कपकोट

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 10 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 10 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 के निर्माण हेतु 2.680 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी को भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र–23A

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुड़िया के पास ओलिग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 2.680 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

ANNEXURA-I

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date.1.06.16.at time.4.30at Bageshwar in which application claiming rights in Verui area measuring 2.680 hect for the Construction of B.K.T. Motor road Km 16 to Verui-Okhaldhar (6.00km) of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Deputy Commissioner/Chairman
District Level Committe

Place: Bageshwar

Dated: 1.06.16

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Form-I
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO......................

Dated..01.06.16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that 2.680 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of B.K.T. Motor road Km 16 to Verui-Okhaldhar motor road in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that ;-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.680 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Govement as required under section 3 (2) of the FRA 1 have completed and the Gram Sabha have given their consent it:......**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 01.06.16

(Bhupal Singh Manral)
District Collector जिलाधिकारी
Seal बागेश्वर
(Full name and official seal of the District Collector

Photo copy Attested.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO.....................

Dated..21.06.16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5[th] feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.680 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of B.K.T. Motor road Km 16 to Verui-Okhaldhar motor road in distt-Bageshwer.**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.680 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure........to annexure.......

- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES

- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Verui Village (s) is enclosed as annexure........

- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
जिलाधिकारी
बागेश्वर

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)